121 | 109
4948
17/11/2022

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 090 / 12–देवीधूरा कून पम्पिंग दिनांक 01/10/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
भीमताल, नैनीताल।

विषय :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड भीमताल की देवीधूरा–कून पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.3627 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भीमताल, नैनीताल को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 798/X-3-22/02(28)/2022 दिनांक 14.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना है। अतः निम्न प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों अनुपालन किया जाना है–

1. शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. शर्त संख्या 2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल 725 पौंधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 0.3627X2= = 0.7254 Ha. X 407992.00= 2,95,957.40 (दो लाख पिचानब्बे हजार नौ सौ सतावन रूपया चालीस पैसा) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है, जो प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या 1459/3–5–2 दिनांक 01.07.2021 द्वारा निर्धारित दर पर आगणन किया गया है।

Sri Vivek Bhatt

12. शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 0.3627 Ha. X 10,05,210.00 = 3,64,589.67 (तीन लाख चौंसठ हजार पांच सौ नवासी रूपया सड़सठ पैसा) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

    शर्त संख्या 5(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
13. शर्त संख्या 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार प्रति है0 50 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्यव वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
14. शर्त संख्या 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी से प्राप्त फंड केवल ई–पोर्टल (http:///parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किया जायेगा।
15. शर्त संख्या 9 के अनुपालन में एफ.आर.ए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

16. शर्त संख्या 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ायेगा।
17. शर्त संख्या 11 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनिमय साइनेज लगाए जायेंगे।
18. शर्त संख्या 12 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
19. शर्त संख्या 13 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
20. शर्त संख्या 14 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
21. शर्त संख्या 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
22. शर्त संख्या 18 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
23. शर्त संख्या 22 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
24. शर्त संख्या 23 के अनुपालन में पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
25. मनोरा रेंज के अन्तर्गत रेंज कार्यालय बल्दियाखान में वानिकी प्रयोजन हेतु पेयजल योजना के अन्तर्गत निःशुल्क कनैक्शन प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित अन्य शर्तो की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

1. प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।